न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 124 / 2019 (2019 / 00228) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मूला पिता रायमल बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मु. गुलाबी बेवा रायमल बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगु पिता मोड़ा बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बक्शु पिता लेहरू सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मी पुत्री लेहरू सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चान्दी पुत्री लेहरू सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 05.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1375 रकबा 0.08 हैक्ट., कुल किता 01 कुल रकबा 0.08 हैक्ट. भूमि खाता 220 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान दरमीयान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते है प्रार्थीगण को घास काटने में फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 31.10. 2019 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजियात के पड़ौसी होने से उन्है पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 18.11.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3 की अदम तामिल प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या 1 लगायत

2 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई गई। सूचना के बावजुद विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई । विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1375 रकबा 0.08 हैक्ट., कुल किता 01 कुल रकबा 0.08 हैक्ट. भूमि खाता 220 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 100/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 200/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 124/2019 (2019/00228) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मूला पिता रायमल बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मु. गुलाबी बेवा रायमल बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगु पिता मोड़ा बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बक्शु पिता लेहरू सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मी पुत्री लेहरू सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. वान्दी पुत्री लेहरू सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :– तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.03.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1375 रकबा 0.08 हैक्ट., कुल किता 01 कुल रकबा 0.08 हैक्ट. भूमि खाता 220 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी करायी जानी है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 100/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 200/–रूपये सम्बधित भू– अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:02:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: